फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,

बैंक ऑफ महाराष्ट्र बनाम मैसर्स जस्ट मोबाईल

प्रकरण संख्या : 602/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
09.02.2023	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया । प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से प्रस्तुत धारा 14 सरफेशी एक्ट के प्रार्थाना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र अधूरा है। प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 02.06.2022 को अप्रार्थी को ऋण दिया जाना अंकित किया है और दिनांक 30.06.2022 को ही एनपीए किया जाना अंकित किया है। इसका कोई कारण नहीं बता पाये है। अतः प्रार्थी वित्तीय बैंक की ओर से धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट–2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थी वित्तीय संस्था बाद पूर्ति नये सिरे से प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम हो। जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर	